भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-421
बुधवार, 16 सितम्बर, 2020/25 भाद्रपद, 1942 (शक)

कोविड-19 के दौरान बेरोज़गारी दर

421 श्री रिपुन बोराः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विगत छह माह के दौरान देश ने औसतन 24 प्रतिशत से अधिक और अगस्त 2020 में 27.11 प्रतिशत पर सबसे अधिक बेरोजगारी दर रिकॉर्ड की है;
(ख) क्या यह भी सच है कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी चिंता है; और
(ग) सरकार की प्रस्तावित कार्ययोजना क्या है और उन्हें तात्कालिक तौर पर क्षेत्र-वार पुनरुद्धार पैकेज का ब्यौरा क्या है जिससे उन क्षेत्रों को पुनः क्रियाशील बनाया जा सके?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): रोजगार-बेरोजगारी पर वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। पीएलएफएस 2018-19 के अनुसार, ऐसे सर्वेक्षण के आधार पर देश में सभी आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित बेरोजगारी दर 5.8% थी।

(ख एवं ग): कोरोना वायरस (कोविड-19) के वैश्विक फैलाव और फिर लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। कोविड-19 के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार अपने मूल निवास स्थानों पर वापस जा रहे हैं। सरकार ने स्थानीय स्तरों पर रोजगार सृजित करने हेतु पहल की हैं तथा प्रवासी कामगारों की प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई), आत्मनिर्भर भारत एवं प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएमजीकेआरए) के माध्यम से सहायता कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, व्यवस्था, व्यवस्था पूर्ण जनसांख्यिकी एवं मांग पर आधारित है ताकि युवाओं हेतु रोजगार सृजित हो सके। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में रोजगार अवसरों के सृजन को सुकर बनाने हेतु 20 लाख करोड़ रु. का आर्थिक पैकेज शामिल है।

पीएमजीकेवाई के तहत, अनाज प्रदान करने के अतिरिक्त, लाभार्थियों के खातों में सीधे ही अनुग्रह-पूर्वक अनुदान भुगतान, कुछ प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों हेतु ईपीएफ अंशदान भी सरकार द्वारा किया गया जिससे कि उद्योग विशेषकर एममएसएमई क्षेत्र को सहायता मिल सके। इसके अतिरिक्त, एमजीएनआरईजीए के तहत वेतन को 182 रु. प्रति दिन से बढ़ाकर 202 रु. किया गया है जिससे लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ मिला है।

भारत सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएमजीकेआरए) के तहत विशेषकर लौटने वाले प्रवासियों को स्थानीय रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए ग्रामीण अवसंरचना एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसमें 50,000 करोड़ रु. के संसाधन आवृत के साथ 6 राज्यों के 116 जिले शामिल हैं जिसका ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 125 दिवसों के मिशन मोड़ अभियान में कार्यान्वयन किया जा रहा है।

सरकार ने अवसंरचना लॉजिस्टिक्स, क्षमता निर्माण, कृषि, मत्स्य एवं खादय प्रसंस्करण क्षेत्रों हेतु शासन एवं प्रशासनिक सुधारों को सुदृढ़ करने के लिए उपायों की भी घोषणा की है।

भारत सरकार ने लगभग 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/-रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाने के लिए प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना आरंभ की है।

*****